न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 204/2016 (2016/00107)

अनवान : –

बशीरखां पुत्र श्योकत खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।

–वादी

बनाम

1. सुशीलकुमार पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
2ए. इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2बी. कृष्णसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी।
3. सरोज पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
5. एसबीबीजे शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तक्सीम
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादी अधिवक्ता**
श्री कृष्ण गर्ग, कालूराम शर्मा **प्रतिवादीगण अधिवक्ता**

निर्णय दिनांक 31/03/2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बीएचडी सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 41/34 के मु0 न0 26 के किला न0 19/1 की 0.127 है0, 22/1 की 0.190 है0, किला न0 23 की 0.253 है0, मु0 न0 31 के किला न0 2/1 की 0.202 है0, किला न0 3 व 8 प्रत्येक की 0.253 है0, किला न0 9/1 की 0.175 है0, किला न0 12/1 की 0.175 है0, किला न0 13 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 1.881 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी बशीर खां के नाम से 124–1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 सुशील कुमार के नाम 25–65/126 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2ए इन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 बी कृष्णसिंह के नाम संयुक्त रूप से 13–13/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सरोज के नाम 1–62/63 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने–अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग–अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। वादी ने अपने हिस्सा में भूमि को लाखों रूपये खर्च कर उसे समतल व उपजाऊ बनाया तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था की है एवं रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व कब्जा काश्म के अनुसार खाता तकसीम किया जावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सुशील, इन्द्रसिंह, कृष्णसिंह व सरोज ने अपना जवाब दावा पेश किया। जवाब पेश होने पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

विभाजन प्रस्ताव पेश होने के उपरान्त वादी या प्रतिवादी पक्षकारान के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नही की। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की सुनी गई। जिसमें उन्होंने मुताबिक विभाजन दिनांक 31.12.2021 के अनुसार वाद भूमि का खाता तक्सीम कर पक्षकारान के नाम अलग-अलग खाते कायम किये जाकर उनका माल व लगान अलग से कायम किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी जाने के उपरान्त दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31.12.2021 के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है।

बशीरखां पुत्र श्योकत खां – रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता संख्या 41/34 के मु0 न0 26 के किला न0 19/1 की 0.127 है0, 22/1 की 0.190 है0, किला न0 23/1 की 0.178 है0, मु0 न0 31 के किला न0 2/1 की 0.202 है0, किला न0 3/1 की 0.178 है0, किला न0 8/1 की 0.114 है0, किला न0 9/1 की 0.175 है0, किला न0 12/1 की 0.175 है0, किला न0 13/1 की 0.093 है0 इस प्रकार कुल 1.432 हैक्टेयर नहरी

सुशील कुमार पुत्र बहादुरसिंह 0.250 है0, इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह, कृष्णसिंह पुत्र रामसिंह संयुक्त 0.174 है0, सरोज पुत्री महावीर 0.025– रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता संख्या 41/34 के मु0 न0 26 के किला किला न0 23/2 की 0.075 है0, मु0 न0 31 के किला न0 3/2 की 0.075 है0, किला न0 8/2 की 0.139 है0, किला न0 13/2 की 0.160 है0 इस प्रकार कुल 0.449 हैक्टेयर नहरी

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें व उनका इसी प्रकार माल व लगान अलग से कायम किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। विभाजन प्रस्ताव को निर्णय का भाग पढ़ा जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/22.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 204/2016 (2016/00107)

अनवान : –

बशीरखां पुत्र श्योकत खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।

–वादी

बनाम

1. सुशीलकुमार पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।

2ए. इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

2बी. कृष्णसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी।

3. सरोज पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

5. एसबीबीजे शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बीएचडी सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 41/34 के मु0 न0 26 के किला न0 19/1 की 0.127 है0, 22/1 की 0.190 है0, किला न0 23 की 0.253 है0, मु0 न0 31 के किला न0 2/1 की 0.202 है0, किला न0 3 व 8 प्रत्येक की 0.253 है0, किला न0 9/1 की 0.175 है0, किला न0 12/1 की 0.175 है0, किला न0 13 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 1.881 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी बशीर खां के नाम से 124–1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 सुशील कुमार के नाम 25–65/126 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2ए इन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 बी कृष्णसिंह के नाम संयुक्त रूप से 13–13/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सरोज के नाम 1–62/63 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि

बशीरखां पुत्र श्योकत खां – रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता संख्या 41/34 के मु0 न0 26 के किला न0 19/1 की 0.127 है0, 22/1 की 0.190 है0, किला न0 23/1 की 0.178 है0, मु0 न0 31 के किला न0 2/1 की 0.202 है0, किला न0 3/1 की 0.178 है0, किला न0 8/1 की 0.114 है0, किला न0 9/1 की 0.175 है0, किला न0 12/1 की 0.175 है0, किला न0 13/1 की 0.093 है0 इस प्रकार कुल 1.432 हैक्टेयर नहरी

सुशील कुमार पुत्र बहादुरसिंह 0.250 है0, इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह, कृष्णसिंह पुत्र रामसिंह संयुक्त 0.174 है0, सरोज पुत्री महावीर 0.025– रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता संख्या 41/34 के मु0 न0 26 के किला किला न0 23/2 की 0.075 है0, मु0 न0 31 के किला न0 3/2 की 0.075 है0, किला न0 8/2 की 0.139 है0, किला न0 13/2 की 0.160 है0 इस प्रकार कुल 0.449 हैक्टेयर नहरी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 204/16 अनुवान बशीरखां बनाम सुशील कुमार आदि धारा 53 आरटीए

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें व उनका इसी प्रकार माल व लगान अलग से कायम किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। विभाजन प्रस्ताव को निर्णय का भाग पढ़ा जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़